कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ

किराये के वाहन लिये जाने हेतु निविदा की शर्ते

संख्या..............दिनांक ....

1- निविदादाता कम से कम 100 वाहन (टाटा सूमों / बोलेरो / टाटा इन्डिगों) विभाग को उपलब्ध कराने की क्षमता रखता हो। वाहन का मॉडल 2013 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं परिवहन विभाग, उ0 प्र0 से प्राप्त फिटनेस प्रमाण-पत्र अवश्य प्रस्तुत किया जाये। उपलब्ध कराये जाने वाले सभी वाहन या तो निविदादाता एजेन्सी के स्वामित्व में होने चाहिए या अनुबन्धित हो । साक्ष्य हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र / अनुबन्ध पत्र संलग्न करना होगा ।

2- उपरोक्तानुसार वाहनों का पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रतियॉ निविदा के साथ संलग्न की जायेगी।

3- प्रत्येक वाहन का माइलोमीटर प्रमाणित एवं चालू हालत में होना चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये एजेन्सी जिम्मेदार होगी। त्रुटि पाये जाने पर अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।

4- ट्रैवेल एजेन्सी द्वारा उलब्ध कराये गये वाहन के दुर्घटनाग्रस्त / किसी प्रकार का नुकसान होने पर विभाग किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।

5- ट्रैवेल एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक से किसी व्यक्ति / पशु के दुर्घटना में मृत्यु अथवा घायल होने पर चालक के घायल / मृत्यु होने पर या किसी सामान / वस्तु के क्षतिग्रस्त होने पर विभाग जिम्मेदान नहीं होगा ।

6- निविदादाता को निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी रु0 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) बैंक ड्राफ्ट /एन0एस0सी0 के रुप में आयुक्त, वाणिज्य कर उ0प्र0 के नाम संलग्न करना होगा एवं निविदा स्वीकार हो जाने पर स्वीकृत निविदादाता को रू0 10 लाख (रुपये दस लाख मात्र) आयुक्त, वाणिज्य कर उ0 प्र0 के नाम बंधक एफ0डी0आर / एन0एस0सी0 के रुप में जमानत धनराशि निविदा स्वीकृत होने के अगले दिन जमा करना होगा जो निविदा प्रभावी रहने की अवधि तक बंधक रहेगा।

7- निविदादाता का वित्तीय वर्ष 2015-16 मे न्यूनतम टर्नओवर रु0 3.00 करोड़ होना चाहिए। साक्ष्य हेतु चार्टेड एकाउन्टेंट से प्रमाणित बैंलेस सीट संबंधित बैंक शाखा द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र बैंक स्टेंटमेन्ट की प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

8- निविदा निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार की जायेगी। टेक्निकल विड से संबंधित निविदा प्रपत्र एवं फाइनेंशियल बिड से संबंधित निविदा प्रपत्र पृथक-पृथक सीलबन्द लिफाफों में ही स्वीकार की जायेगी। टेक्निकल बिड को पूर्ण करने वाली फर्मो की ही फाइनेंशियल बिड पर विचार किया जायेगा।

9- अन्तिम रुप से स्वीकार की गयी निविदा / निविदाओं के लिये संबंधित एजेन्सी को स्वंय के खर्च पर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर विभाग के साथ अनुबन्ध करना होगा ।

10- निविदा संबंधी किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा ।

11- निविदा संबंधी किसी भी शर्तो का उल्लंघन करने पर निविदादाता की जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती है।

12- सशर्त निविदा तथा बिना अर्नेस्ट मनी की धनराशि के प्रस्तुत की गयी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।

13- निविदा की जो दरें अंकित की जाये वे समस्त व्ययों जैसे चालक, ईंधन, वाहन की मरम्मत एंव सर्विस टैक्स सहित दी जाये। उनका अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट उल्लेख किया जाये तथा उसमें कटिंग / ओवरराइटिंग / ओवर टाइपिंग / इरेंजिंग न हो।

14- फर्म को प्रत्येक वाहन में एक लॉगबुक स्वंय के खर्च पर रखना होगा जिसमें प्रत्येक यात्रा की दूरी का अंकन किया जायेगा तथा उस पर वाहन का उपयोग करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। फर्म को प्रत्येक माह के बिल के साथ सभी लॉगबुक की प्रमाणित प्रति एवं उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र लगाना होगा अन्यथा फर्म के बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

15- फर्म से वाहन मॉगने पर समय अन्तर्गत वाहन उपलब्ध न कराने पर अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए संबंधित फर्म के विरुद्ध कार्यवाही / भुगतान रोक दिया जायेगा ।

16- सामान्यता उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों की संख्या 100 होगी। गाडियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है ।

17- ट्रैवेल एजेन्सी द्वारा सम्बद्ध किये जाने वाले वाहन के चालक का पूर्ण विवरण यथा-आवासीय पता, फोन नम्बर / मोबाईल नम्बर विभाग को उपलब्ध कराना होगा ।

18- संबंधित ट्रैवेल एजेन्सी द्वारा सम्बद्ध वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रमाणित फोटोप्रति विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी ।

19- अपूर्ण अथवा अस्पष्ट निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने वाली फर्म पर विचार नहीं किया जायेगा ।

20- निविदा के साथ वाहन के पंजीकरण की फोटोप्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही निविदा खोलते समय वाहनों का पंजीकरण भी निविदा समिति द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करना / दिखाना अनिवार्य होगा ।

21- ट्रैवेल एजेन्सी का गैराज संबंधित जनपद में 4 कि0मी0 की सीमा में होना आवश्यक है। इससे अधिक दूरी होने पर भी गैराज से संबंधित कार्यालय के सम्बन्ध में 4 कि0मी0 की दूरी का भुगतान ही देय होगा ।

22- गलत मीटर रीडिंग पाये जाने पर फर्म के देयक का भुगतान रोका जा सकता है ।

23- निविदादाता एजेन्सी के पास रजिस्ट्रार चिट्स, फर्म एवं सोसाइटीज, सेवाकर रजिस्ट्रेशन, वैध पैन कार्ड, परिवहन विभाग में पंजीकृत ट्रैवेल एजेन्सी का रजिस्ट्रेशन, पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0 का अद्यतन पंजीकरण होंना चाहिए ।

24- निविदादाता को जिलाधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

25- निविदा की अवधि 30 सितम्बर 2016 तक होगी तथा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त होने पर निविदा की अवधि बढ़ायी जा सकती है।

26- निविदादाता के पास ट्रैवेल एजेन्सी के रुप में कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

27- निविदादाता एजेन्सी के पास वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किसी एक केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभाग / निगम / संस्थान / प्रतिष्ठित कंपनी में कम से कम 100 वाहनों की आपूर्ति करने का अनुभव होना चाहिए , जिसके साक्ष्य हेतु संबंधित विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करन होगा ।

28- निविदादाता एजेन्सी के पास गौतमबुद्धनगर तथा गाजियाबाद में गाड़ियों की आपूर्ति का अनुभव होना अनिवार्य होगा तथा साक्ष्य हेतु अनुभव प्रमाण पत्र लगाना होगा ।

29- निविदा प्रपत्र के साथ मण्डलवार उपलब्ध करायी जाने वाली गाड़ियों का विवरण, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, अद्यतन इंश्योरेंस की प्रति, ड्राइवर की डी0एल0 की प्रति, अनुबन्ध पत्र की प्रति संलग्न होनी चाहिए । अपूर्ण सूची या बिना प्रमाण पत्रों की प्रति लगाये निविदा डालने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी ।

30- भुगतान की जाने वाली धनराशि पर नियमानुसार स्रोत पर आयकर की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

31- वाणिज्य कर विभाग द्वारा दिये गये समय एवं स्थान पर वाँछित मेक एवं अच्छी Condition की गाड़ी न पहुँचने पर अथवा रास्ते में गाड़ी खराब होने पर फर्म द्वारा यदि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करायी जाती है तो विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण कटौती फर्म को किये जाने वाले भुगतान से कर ली जायेगी, सेवाएं निरन्तर असन्तोषजनक पाये जाने पर सिक्योरिटी की धनराशि रु0 दस लाख जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें वाणिज्य कर विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

32- वाहन से संबंधित सभी आवश्यक देय (सभी प्रकार के कर) पूर्णतया जमा होने चाहिए। मोटर वेहकिल एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक सभी कागजात वाहन के साथ उपलब्ध होना चाहिए एवं वाहन, कम्प्रेहन्सिव बीमा से आच्छादित होना चाहिए।

33- समय-समय पर लागू न्यूनतम पारिश्रमिक मूल्य एक्ट, कर्मचारी प्रोविडेन्ट फन्ड एक्ट आदि के अन्तर्गत चालक को देय पारिश्रमिक मूल्य का भुगतान प्रत्येक माह के अन्त में विभाग से भुगतान प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर चालक को किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी पूर्णतया फर्म की होगी।

34- कार्यावधि के समय देय पार्किंग चार्जेस/टोल टैक्सेस/ इन्ट्री टैक्सेस/अर्न्तराज्य टैक्सेस / सर्विस टैक्सेस की प्रतिपूर्ति वाहन के किराये के बिल से किया जायेगा।

35- कार्यावधि में वाहन को स्वच्छ दशा में रखा जायेगा। वाहन की सामान्य दशा (भौतिक स्थिति) अच्छी होनी चाहिए। वाहन की सीट कवरें अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए एवं पूर्णतया साफ-सुथरे कवर से ढकी होनी चाहिए। यदि वाहन की स्थिति खराब पायी जाती है तो किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

36- किसी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, वाणिज्य कर उ0 प्र0 को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा।

37- उपरोक्त सभी शर्तें निविदादाता को अनिवार्य रुप से मान्य होंगी।

(रण विजय यादव)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रपत्र मूल्य रु0 200.00

निविदा प्रपत्र (प्रारुप-1)

(तकनीकी विड)

प्रेषक,

सेवा में,

कमिश्नर, वाणिज्य कर

उ0 प्र0 लखनऊ।

विषय : वाणिज्य कर उ0 प्र0 के समस्त जोन के विभिन्न कार्यालयों के प्रयोगार्थ टैक्सी हायर किये जाने हेतु अल्पकालीन निविदा

फर्म से सम्बंधित सूचना (तकनीकी विड)

क0सं0	विवरण	अंकन स्पष्ट अक्षरों में
1	निविदादाता की फर्म का पूरा नाम	
2	फर्म का पता	
3	फर्म का फोन नम्बर	
4	निविदादाता फर्म के प्रोप्राइटर /पार्टनर / डायरेक्टर का नाम व पता	
5	निविदादाता फर्म के प्रोप्राइटर /पार्टनर / डायरेक्टर का मोबाइल नम्बर	
6	परिवहन विभाग में ट्रैवल एजेन्सी के रुप में पंजीकरण की संख्या (पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें)	
7	फर्म का पैन नम्बर (पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें)	
8	सेवा कर पंजीयन संख्या (पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें) A- पी0एफ0 पंजीकरण संख्या (पंजीयन की छाया प्रति संलग्न करें) B- ई0एस0आई0 पंजीकरण संख्या (पंजीयन की छाया प्रति संलग्न करें)	
9	100 वाहनों का विवरण (वाहनों का मॉडल वर्ष 2013 के पूर्व का न हो) (वाहनों का पंजीयन / इंश्योरेन्स / फिटनेस की छाया प्रति संलग्न करें)	
10	100 वाहन चालकों का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स (छायाप्रति संलग्न करें)	
11	निविदादाता एजेन्सी के पास वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किसी एक केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विभाग / निगम / संस्थान / प्रतिष्ठित कंपनी में कम से कम 100 वाहनों की आपूर्ति करने का अनुभव (संबंधित विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र अभिलेख संलग्न करें।	
12	संदर्भ विज्ञापन संख्या	संख्या----------------------- दिनांक ------------------
13	निविदा शुल्क रु0 200.00 का विवरण	रसीद संख्या--------------- दिनांक --------------------

14	अर्नेस्ट मनी रु0 100,000.00 (रु0 एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट /एन0एस0सी0 के रुप में	संख्या ---------------------- दिनॉक-----------------------
15	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र (चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
16	फर्म का वित्तीय वर्ष 2015-16 मे टर्नओवर (चार्टेड एकाउन्ट द्वारा प्रमाणित बैंलेंस शीट / राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें)	

मै /हम वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ /करते है तथा निर्धारित प्रारूप पर अपनी दरें भर कर धरोहर शुल्क सहित भेज रहा हूँ / भेज रहें है , जिसकी प्रमाणिता स्वरुप निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर दिया है /दिये हैं ।

दिनॉक ....

हस्ताक्षर निविदादाता

संलग्नक की संख्या.............................. नाम व पता मुहर सहित

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0 लखनऊ

निविदा प्रपत्र (प्रारुप-2)

मासिक आधार पर दरें

वित्तीय विड

गाड़ी का नाम	मासिक आधार पर (2000 किमी0/300घंटे) **(ईंधन, मरम्मत, चालक , सर्विस टैक्स सहित)**	अतिरिक्त कि0मी0 हेतु
टाटा सूमों **(डीजल)**		
बोलेरों **(डीजल)**		
टाटा इंडिगों कार **(डीजल)**		

दिनांक.............................
संलग्नक की संख्या...........

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम व पता मुहर सहित

[redacted]